

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ साख आर. ए. एस

प्रकरण संख्या:- 05/2017

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट 1956

श्री भैरूलाल पिता नाना गाडरी जाति गाडरी निवासी खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा  
.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री लादु पिता छगना जाट उम्र वयस्क निवासी खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. श्री रामा पिता गोकुल गाडरी निवासी खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. श्री नन्दराम पिता काना लुहार निवासी खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
4. श्री नन्दा पिता भुवाना जाट निवासी खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
5. श्री बद्री पिता रामबक्ष जाट निवासी खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
6. श्री गोपाल पिता लाला जाट निवासी खजीना तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

...विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

—:आदेश:-

दिनांक: -11/02/2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 09.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम खजीना पटवार हल्का आकोला तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 242 की आराजी संख्या 101, 102, 1968/1, 1968/2, 1978/1, 1978/2, 1979, 1980/1, 1980/2 कुल किता 09 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातें/संयुक्त खातें की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करायें जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन जारी किये गये। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लिये गये। विपक्षीगण बावजूद सुचना के अनुपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नही करायें जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं एवं संबंधित भू. अ. निरीक्षक आकोला को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

—:आदेश:-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके वाके ग्राम खजीना पटवार हल्का आकोला तहसील कोटडी की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 242 की आराजी संख्या 101, 102, 1968/1, 1968/2, 1978/1, 1978/2, 1979, 1980/1, 1980/2 कुल किता 09 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्षों को सूचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिये कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 1000/-रुपये वक्त पत्थरगढ़ी कमिश्नर भू.अ. निरीक्षक को जमा करायेंगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा पत्थरगढ़ी की जाकर पालना करें।

  
उपखण्ड अधिकारी

प्रतिलिपि :-तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढ़ी कराकर सात न्योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

  
11/2/17  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटडी जिला-भीलवाडा